अपर उपायुक्त का न्यायालय,सरायकेला-खरसावॉं।

टी0ए0 मिस केस नं0- 61/19-20

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
22/6/20	**आदेश** आवेदिका श्रीमति बासन्ती देवी @ बासन्ती महतो, पति स्व0 गोविन्दा महतो, जाति-कुर्मी (महतो), ग्राम- डोबो, थाना- चाण्डिल जिला-सरायकेला-खरसावॉं ने मौजा - डोबो, थाना - चाण्डिल, थाना नं0- 331, खाता नं0-48, प्लॉट नं0 क्रमशः-1216, 1218 एवं 1219, रकवा क्रमशः- 2.74 ए0, 1.03 एवं 0.14 ए0, खाता सं0- 49, प्लॉट सं0- 1217, रकवा- 0.88 एकड़, कुल रकवा- 4.79 एकड़ जमीन को क्रेता - श्रीमति अनिता महतो, पिता- लक्ष्मण महतो, जाति- कुर्मी (महतो) ग्राम- बासुरदा, थाना- गम्हरिया, जिला-सरायकेला-खरसावॉं के पास पारिवारिक खर्च एवं ऋण परिशोध के वास्ते रूपये की आवश्यकता होने के कारण अनुमानित बाजार मूल्य 1,00,00,000.00 (एक करोड़) रू0 में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा-46(।) प्रोभिजों "बी" के अंतर्गत बेचने के लिए अनुमति हेतु अनुरोध किया है। जांच प्रतिवेदनानुसार निर्गत आम सूचना के आलोक में किसी ने इस जमीन की बिक्री पर आपत्ति नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, चाण्डिल के पत्रांक-339 दिनांक-30.05.2020 एवं पत्रांक- 379 दिनांक- 12.06.2020 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आवेदित भूमि के खतियानी /पंजी-।। रैयत गोविन्द महतो एवं इन्द्रदेव महतो, पिता शिवनाथ महतो है। आवेदिका पंजी-।। रैयत की पत्नी है। खतियानी एवं पंजी-।। के अनुसार आवेदिका के हिस्से में आवेदित भूमि है तथा आवेदित भूमि का बाजार दर - 2,63,92,900.00 (दो करोड़ तिरसठ लाख बिरानवे हजार नौ सौ) रू0 है। क्रेता एवं विक्रेता दोनों एक ही जिला के निवासी हैं। बिक्री के पश्चात आवेदिका के हिस्से में कुल रकवा- 2.63 एकड़ भूमि अवशेष बचती है साथ ही यह भी प्रतिवेदित है कि स्थानीय जॉच में अन्य हिस्सेदारों का आपत्ति नहीं पाया गया। उभय पक्ष को सूचना निर्गत कर दिनांक- 17.06.2020 को बुलाया गया। बिक्रेता से उनका बिक्री पश्चात अवशेष भूमि तथा बिक्री की जाने वाली भूमि के संबंध में पूछताछ किया गया। विक्रेता द्वारा बताया गया कि आवेदित भूमि उनके हिस्से की भूमि है तथा बिक्री पश्चात उनके हिस्से में 2.00 एकड़ से अधिक भूमि बचती है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में श्रीमति बासन्ती देवी @ बासन्ती महतो, पति स्व0 गोविन्दा महतो, ने आवेदित भूमि मौजा - डोबो, थाना - चाण्डिल, थाना नं0- 331, खाता नं0-48, प्लॉट नं0 क्रमशः-1216, 1218 एवं 1219, रकवा क्रमशः- 2.74 ए0, 1.03 एव एवं 0.14 ए0, खाता सं0- 49, प्लॉट सं0- 1217, रकवा- 0.88 एकड़, कुल रकवा- 4.79 एकड़ जमीन जमीन को क्रेता - श्रीमति अनिता महतो, पिता- लक्ष्मण महतो, जाति- कुर्मी (महतो) ग्राम- बासुरदा, थाना- गम्हरिया, जिला-सरायकेला-खरसावॉं को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा-46(1) प्रोभिजों "बी" के अंतर्गत बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। लेखापित अपर उपायुक्त, सरायकेला-खरसावॉं 22/6/20 अपर उपायुक्त, सरायकेला-खरसावॉं	